न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

निर्णय दिनांकः– 18.10.2023

अपील संख्या 67/21
(जीसीएमएस संख्या 2021/00117)

1. दामोदर प्रसाद पुत्र गोपालदास जाति सारस्वत निवासी राणीसर बास, तहसील व जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, बज्जू।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 14–09–1999
सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री राधाकिसन स्वामी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 14–09–1999 जिसके द्वारा अपीलांट्स के पिता का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् को चक 27 सीडब्ल्यूबी के मुरब्बा नम्बर 167/42 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा व चक 33 सीडब्ल्यू बी के मुरब्बा नम्बर 127/58 में 25 बीघा इस प्रकार कुल 50 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 05–09–1990 को किया गया था।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलांट् द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाबत् तमाम किश्तें खजानाराज में जमा करवा जा चुकी है। ऐसी स्थिति में आवंटन पश्चात् अपीलांट् द्वारा तमाम किश्तें जमा करवा दी गई तथा अपीलांट को आवंटन पश्चात् वादगत् भूमि का कब्जा भी प्रदान कर दिया गया था। उक्त स्थिति पत्रावली पर उपलब्ध होने के बावजूद भी अदालत मातहत द्वारा अपीलांट् का चक 27 सीडब्ल्यूबी के मुरब्बा नम्बर 167/42 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा भूमि का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज कर दिया गया। इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है।

उन्होनें आगे बताया कि विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व उसे सुनवाई का व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो वह आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत आदेश होने के कारण निरस्त योग्य आदेश है। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश रिकार्ड का अवलोकन किये बिना पारित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा अपने स्तर पर कोई नोटिस व सूचना अपीलांट को नहीं दी गई है। अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि की सम्पूर्ण किश्तें जमा करवाने के उपरान्त भी अपीलांट का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज किया गया है। यदि अपीलांट की कोई किश्त बकाया भी है तो अपीलांट आज दिनांक तक बकाया किश्तें जमा करवाने को तैयार है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 14—09—1999 के विरूद्व अपील दिनांक

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

09–03–21 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट् का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 14–09–1999 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 09–03–2021 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलांट का आवंटन किश्तों के अभाव में बिना नोटिस अथवा सूचना दिये खारिज किया गया है जबकि पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजों के आधार पर किश्तें निरन्तर जमा करवाये जाने का उल्लेख है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, आवंटन अधिकारी द्वारा वर्ष 1976 में अपीलांट्स के पिता के पक्ष में आवंटन आदेश जारी किया गया। आवंटन पश्चात् वादग्रस्त भूमि जरिये नामान्तरणकरण संख्या 35 अपीलांट् के नाम दर्ज रिकार्ड कर दी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज तहसीलदार बज्जू के सेल रजिस्टर के अवलोकन पर यह साबित है कि अपीलांट् द्वारा दिनांक 14–03–1991 चालान संख्या 99 राशि 56593/–, चालान संख्या 68 दिनांक 19–12–1993 राशि 56593/–, चालान संख्या स्पे. 5 दिनांक 06–05–1995 राशि 56594/–, खजानाराज में जमा करवाई गई। जब किश्तें लगातार जमा हो रही थी तो किश्तों के अभाव में अपीलांट्स के विधिवत आवांटन को खारिज किया जाना मनमाना कार्यवाही है। खारिजी आदेश अस्पष्ट है। 06 साल तक लगातार किश्तें जमा करवाने के उपरान्त मनमाने पूर्ण

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

तरीके से एक लाईन के आदेश से आवंटन खारिज करना अविवेकपूर्ण कार्यवाही है। उक्त कार्यवाही से पूर्व अपीलांट/आवंटी को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया तथा उसकी पीठ पीछे आदेश पारित कर दिया गया तथा उक्त आदेश की सूचना भी आवंटी को नहीं दी गई। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश पुष्टि योग्य की श्रेणी में नहीं आता है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 14—09—1999 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ उपखण्ड अधिकारी, बज्जू को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट् को आवंटित भूमि अन्य को आवंटित नहीं की गई हो, अपीलांट् की यदि कोई बकाया राशि हो तो तीन माह में जमा करवाकर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 18.10.23 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर